

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापूर सिटी  
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 48/24

तारीख रज्जू- 20/11/24

1. विश्राम पुत्र श्रीकिशन जाति मीना निवारी मैडी तहसील वजीरपुर।

-अपीलार्थी

बनाग

1. नायब तहसीलदार वजीरपुर।

-रेस्पोंडेंट


निर्णय

दिनांक 18/12/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 126/24 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी खं0नं0 1606 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मैडी की भूमि खं0नं0 1606 रकबा 0.07 है0 के बाबत एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर अतिक्रमण करने बाबत पेश की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एक्ट का नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस अपीलान्त को नहीं मिला। इसके बाबजूद उक्त नोटिस के आधार पर अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित हुआ। परन्तु अपीलान्त को उक्त नोटिस का जबाब पेश करने हेतु समय नहीं दिया गया तथा अपीलान्त की गैर मौजूदगी में पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये जाना दिनांक 28.08.2024 की आर्डर शीट में अंकित करते हुए इस दिनांक को अपीलान्त को पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन निर्णय गलत रूप से पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दिनांक 28.08.2024 को लिया जाना अंकित किया है जबकि उक्त पत्रावली में निर्णय दिनांक 20.08.2024 को ही पारित कर दिया गया। जिसका उल्लेख दिनांक 28.08.2024 की आर्डरशीट के बाद अंकित मोहर में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, अर्थात् एक ही प्रकरण में दो निर्णय पृथक-पृथक पारित किये गये हैं जिसमें एक में निर्णय पृथक से लिखाया जाना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के उक्त निर्णय पारित किया है, जबकि मौके पर विवादित भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है तथा न ही अपीलान्त उक्त भूमि का पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त होने योग्य है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.08.2024 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।





विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेशेकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमिता आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान में भी अंकित किया हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया हुआ था। पेशेकार सरकार ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि उक्त वाद आराजीयात की किरम चरागाह है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तो चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पेशेकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमण तथा बयान में भी अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद अराजीयात पर सम्बत् 2080 में भी अतिक्रमण करना तथा अपीलार्थी को भौतिक रूप से वेदखल करना अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिती में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रामकिशोर मीना )  
अति० जिला कलक्टर  
गंगापुर सिटी